

डिक्री व मुकदमें ईब्लदाई  
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता  
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी  
पीठासीन अधिकारी-मीनू वर्मा आर.ए.एस.  
प्रकरण संख्या:- 244/2019

1. रामलाल पुत्र सदूराम जाति जाट निवासी डबलीकंला तहसील टिब्बी जिला  
हनुमानगढ। वादी

वनाम्

1. इन्द्रपाल पुत्र चन्द्रराम
  2. कलावती पत्नी जगमाल
  3. मदन
  4. सुखवीर
  5. रेशमां
  6. शंकर
  7. विनोद
  8. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।
- जाति जाट निवासी डबलीकंला तहसील टिब्बी जिला  
हनुमानगढ।
- पि० जगमाल  
पि० पतराम
- प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मीनू वर्मा आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कर्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री सुभाषचन्द्र गर्ग वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री महावीर वर्मा प्रतिवादीगण मिन जानिव मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि क.वादी रामलाल को चकनं० 12 डीबीएल के प०न० 189/358 मु० 13 किलानं० 11/2/.228, 12/.253, 13/2/.127, 16 ता 19, 20/2/.228, 21/2/.202, 22/2 से 25/2 प्रत्येक .228 है० प०न० 189/359 मु० 18 किलानं० 3,4, तथा चकनं० 6 आरपी के प०न० 173/357 मु० 13 किलानं० 3 ता 8, 14,15, ख.प्रतिवादीसं० 1 इन्द्रपाल को चकनं० 6 आरपी के प०न० 172/357 मु० 12 किलानं० 12, 13/.127, 17 ता 19, 22 ता 24 ग.प्रतिवादीसं० 2 ता 5 को ब०हि०ब० चकनं० 6 आरपी के प०न० 173/357 मु० 13 किलानं० 16,17,24,25 घ.प्रतिवादीसं० 6 ता 7 को ब०हि०ब० प्राप्त आराजी:-चकनं० 12 डीबीएल के प०न० 190/358 मु० 12 किलानं० 9 ता 12 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर उपरोक्त अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण की भूमि का खाता अलग अलग कायम करने व रकम राज अलग से कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत.....निल.....खर्चा  
मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक .....

.....अदा करें।  
बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक.....२१.०२.२०१९.....को जारी किया गया।

( मीनू वर्मा )  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी